रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

. . . .

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 2018/आश्विन 13, 1940
No. 372]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2018/ASVINA 13, 1940

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2018

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018

सं. आई.बी.बी.बाई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.032.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

 (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (च) का लोप किया जाएगा ।

3. मूल विनियमों के विनियम 21 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) बैठक की सूचना में, निम्नलिखित सहित बैठक की कार्यसूची होगी –

(i) उन विषयों की सूची, जिनके संबंध में बैठक में विचार किया जाना है;

(ii) उन मुद्दों की सूची, जिनके संबंध में बैठक में मतदान किया जाना है; और

(iii) उन समस्त दस्तावेज़ों की प्रतियां, जो बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों और मतदान किए जाने वाले मुद्दों से सुसंगत हैं ।"।

5876 GI/2018

4. मूल विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखें जायेंगे, अर्थात्:-

#### "(5) समाधान व्यावसायिक –

(क) बैठक की समाप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर समिति के समस्त सदस्यों और प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई, को इलैक्ट्रानिक माध्यमों से बैठक के कार्यवृत्त परिचालित करेगा; और

(ख) ऐसे सदस्यों से, जिन्होंने बैठक में, मतदान के लिए सूचीबद्ध विषयों पर मतदान नहीं किया था, विनियम 26 के अनुसार इलैक्ट्रानिक मतदान पध्दति से मतदान की ईप्सा करेगा जहां कि मतदान, कार्यवृत्त के परिचालन से चौबीस घंटे के लिए खुला रखा जाएगा ।

(6) प्राधिकृत प्रतिनिधि, उप-विनियम (5) के अधीन प्राप्त बैठक के कार्यवृत्त को उस वर्ग के लेनदारों को परिचालित करेगा और मतदान अनुदेशों के लिए विंडो के खुलने के कम से कम चौबीस घंटे पूर्व मतदान विंडो की घोषणा करेगा और मतदान विंडो को कम से कम बारह घंटे के लिए खुला रखेगा ।"।

5. मूल विनियमों के विनियम 26 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) प्राधिकृत प्रातिनिधि, मतदान का प्रयोग उसके द्वारा विनियम 25 के उप-विनियम (6) के अनुसरण में उस वर्ग के लेनदारों से प्राप्त मतदान अनुदेशों के अनुसार या तो इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा या इलैक्ट्रानिक मतदान प्रणाली द्वारा करेगा ।"।

6. मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) किसी समाधान योजना के अधीन प्रक्रियागत लेनदारों को देय रकम को संदाय के मामले में वित्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी ।"।

7. मूल विनियमों के विनियम 39 में,-

(क) उप-विनियम (1) में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (3क) का लोप किया जाएगा ।

8. मूल विनियमों में, विनियम 39 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"39क. अभिलेखों का संरक्षण -** यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों की एक भौतिक तथा इलैक्ट्रानिक प्रति ऐसी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों से परामर्श करके सूचित की जाए, परिरक्षित रखेगा ।"।

> डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./248/18]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात्

1) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017; 2) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017;

(3) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017;

(4) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.022, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017;

(5) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.024, तारीख 6 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018;

(6) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.030, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018; और

(7) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.031, तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018

द्वारा संशोधन किए गए थे ।

# INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 5th October, 2018

#### INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR CORPORATE PERSONS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

**No. IBBI/2018-19/GN/REG032.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), clause (f) shall be omitted.
- 3. In the principal regulations, in regulation 21, for sub-regulation (3), following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(3) The notice of the meeting shall contain the following-

- (i) a list of the matters to be discussed at the meeting;
- (ii) a list of the issues to be voted upon at the meeting; and

- (iii) copies of all documents relevant to the matters to be discussed and the issues to be voted upon at the meeting.".
- 4. In the principal regulations, in regulation 25, for sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

#### "(5) The resolution professional shall-

- (a) circulate the minutes of the meeting by electronic means to all members of the committee and the authorised representative, if any, within forty-eight hours of the conclusion of the meeting; and
- (b) seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting, by electronic voting system in accordance with regulation 26 where the voting shall be kept open for at least twenty-four hours from the circulation of the minutes.

(6) The authorised representative shall circulate the minutes of the meeting received under sub-regulation (5) to creditors in a class and announce the voting window at least twenty-four hours before the window opens for voting instructions and keep the voting window open for at least twelve hours.".

5. In the principal regulations, in regulation 26, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(1A) The authorised representative shall exercise the votes either by electronic means or through electronic voting system as per the voting instructions received by him from the creditors in the class pursuant to sub-regulation (6) of regulation 25.".

6. In the principal regulations, in regulation 38, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) The amount due to the operational creditors under a resolution plan shall be given priority in payment over financial creditors.".

- 7. In the principal regulations, in regulation 39, -
  - (a) in sub-regulation (1), clause (b) shall be omitted;
  - (b) sub-regulation (3A) shall be omitted;
- 8. In the principal regulations, after regulation 39, the following regulation shall be inserted, namely: -

**"39A. Preservation of records.-**The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall preserve a physical as well as an electronic copy of the records relating to corporate insolvency resolution process of the corporate debtor as per the record retention schedule as may be communicated by the Board in consultation with Insolvency Professional Agencies.".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./248/18]

- **Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004 on 30th November, 2016 and was subsequently amended by—
  - The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017;
  - (2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG18, dated the 5th October, 2017;
  - (3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG019, dated the 7th November, 2017;
  - (4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG022, dated the 31st December, 2017;
  - (5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG024, dated the 6th February, 2018; and

- (6) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG030, dated the 27th March, 2018.
- (7) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2018-19/GN/REG031, dated the 3rd July, 2018.